



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 1856 / फा०सं०-499 / एच०ओ०डी० / डी०एस०एम०एन०आर०यू० / 2018-19

दिनांक: 31 जनवरी, 2019

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-28 में व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसा विहित किया जाए"।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा-5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं मा० कार्य परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 28.12.2018 के कार्यवृत्त पत्रांक: 1754 / फा०सं०-36(पंचम) / कार्य परिषद / 2018-19 दिनांक: 11 जनवरी, 2019 के बिन्दु संख्या 4/22 में लिए गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकवृन्द को तालिका में नाम के सम्मुख निम्नानुसार विभागाध्यक्ष इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से नियुक्त किये जाने का निदेश हुआ है -

क्र.सं.	विभाग का नाम	नियुक्ति / नामित विभागाध्यक्ष
1.	समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग	डॉ० हिमांशु शेखर झा, प्रोफेसर
2.	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	डॉ० राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर
3.	भौतिक विज्ञान विभाग	डॉ० चन्द्र कुमार दीक्षित, प्रोफेसर,
4.	अर्थशास्त्र विभाग	डॉ० राशि कृष्ण सिन्हा, एसोसिएट प्रोफेसर
5.	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी विभाग	डॉ० विनोदनी कटियार, एसोसिएट प्रोफेसर
6.	गणित एवं सांख्यिकी विभाग	डॉ० शशि भूषण, एसोसिएट प्रोफेसर

इन विभागाध्यक्षों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गई संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने-अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार विभागाध्यक्षों का कार्यकाल इस कार्यालय आदेश के निर्गत होने की तिथि से अग्रिम आदेशों अथवा प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियमित नियुक्ति होने तक के लिए प्रभावी होगा। इस दायित्व के लिए विभागाध्यक्षों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सम्बन्धित प्रोफेसरगण/एसोसिएट प्रोफेसरगण, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव